भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेशराज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र.
Website:bsgmp.net E_mail: scoutguide_bpl@dataone.in Phone:2737446, 2661263

क्र./2630/रा.मु/निर्वा/2018 भोपाल, दिनांक 30/8/18

प्रति ,

ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि
राज्य परिषद
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
राज्य मुख्यालय भोपाल।

यह अधिसूचना आज दिनांक स्थान राज्य मुख्यालय भोपाल से प्रकाशित की जा रही है कि ए.पी. आर.ओ. रूल्स बुक चेप्टर 3 की धारा 37 से 70 के अनुसार राज्य कार्यकारिणी में ग्रप स्काउटर के रिक्त हुयें पद हेतु निर्वाचन दिनांक 10.10.2018 को दोपहर 12:30 बजे राज्य मुख्यालय भोपाल में होगा।

निर्वाचन किये जाने वाले पद का नाम, उनकी संख्या, योग्यता, प्रस्ताव समर्थक व मतदाता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.	पद नाम	पद संख्या	योग्यता	प्रस्तावक एवं समर्थक	मतदाता
1	ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि	एक	ए.पी.आर.ओ.रूल्स बुक की चेप्टर 3 धारा 65 (1) (डी)के अनुसार ग्रुप स्काउटर जिनका नाम राज्य परिषद की जारी सूची में हों।	राज्य परिषद की जारी संलग्न सूची में दर्शाये ग्रुप स्काउटर सदस्य	राज्य परिषद की जारी संलग्न सूची में दर्शाये ग्रुप स्काउटर सदस्य

चुनाव का तिथिवार कार्यक्रम इस प्रकार है –

1. नामांकन पत्र जमा करने की तिथि **25 सितम्बर 2018 मंगलवार दोपहर 12:00 बजे तक** ।
2. नामांकन प्रपत्रों की जॉच तिथि **25 सितम्बर 2018 मंगलवार , सायम 04:00 बजे से** ।
   जाचं पश्चात वैध नामांकन सूची का प्रकाशन करने की तिथि तिथि **25 सितम्बर 2018 मंगलवार अपरांह 05:30 बजे।**
3. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि **01 अक्टूबर 2018 सोमवार, दोपहर 02:00 बजे तक।**
4. नाम वापस उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन **01 अक्टूबर 2018 सोमवार, अपरांह 05:00 बजें तक।**
5. चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन दिनांक **10 अक्टूबर 2018 कों दोपहर 12:30 से दिन बुधवार को राज्य मुख्यालय भोपाल** में होगा एवं मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिये जावेंगे।
6. नामांकन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर भेजे जोवें, नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से जिसमें लिफाफे के ऊपर **"नामांकन पत्र"** एवं **ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि के प्रत्याशी" "स्पष्ट रूप से लिखकर** लिफाफे को **निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय, शांतिमार्ग, श्यामला हिल्स भोपाल पिनकोड – 462017 के नाम से भेजे।**
7. डाक में खोये या विलंब से प्राप्त हुये नामांकन पत्रों का दायित्व इस कार्यालय का नही होगा।
8. व्यक्तिगत नामांकन पत्र का लिफाफा देने की स्थिति में रसीद प्राप्त करना स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
9. नामांकन पत्र में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, काट–छांट एवं नामांकन पत्र में उल्लेखित निर्देशो का पालन न करने एवं अन्य गलती पाये जाने पर नामांकन निरस्त कर दिया जावेगा।
10. नामांकन पत्र में सदस्यता क्रमांक के साथ संलग्न राज्य परिषद की सूची का सरल क्रमांक ही मान्य होगा। निर्वाचन के दिन दो थंब साईज फोटो अलग से अनिवार्यतः लावें।

निरंतर 2

11. वैध नामांकन पत्र की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं नाम वापसी के पश्चात यदि प्रत्याशियों की संख्या घोषित संख्या के बराबर हुई तो प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

12. निर्वाचन में मतदान के पूर्व राज्य मुख्यालय से जारी परिचय पत्र आवश्यक है जो राज्य सचिव के द्वारा जारी हो अथवा निम्न में से कोई एक दस्तावेज (मूल प्रति) साथ लाकर मतदान कर सकते है :–

   1. ड्राइविंग लायसेंस ।
   2. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र
   3. परमानेंट अकाउंट नम्बर (पेन कार्ड)
   4. आधार कार्ड
   5. पासपोर्ट

13. निर्वाचन के समय निर्वाचन में उम्मीदवारी की वापसी निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर कर जमाकरने पर ही मान्य होगी। जो राज्य मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

14. निर्वाचन के दौरान संलग्न आचार संहिता में दिये गये आचरण नियम का पालन किया जावें। इसके आभाव में उम्मीदार एवं सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

जो सदस्य परिचय पत्र राज्य मुख्यालय भोपाल से बनवाना चाहते है वह दो थम्ब साईज फोटो (जिसके पीछे अपना नाम एवं सूची का सरंल क्र. अवश्य अंकित हो 25 अगस्त से 2018 तक राज्य सचिव, **भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय, शांतिमार्ग, श्यामला हिल्स भोपाल पिनकोड – 462017 के नाम से** आवश्यक रूप से भेजे। परिचय पत्र के आभाव में मत नही दे सकेंगे। **परिचय पत्र बनवाने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2018** सांयकाल 05:00 बजे तक है। परिषद की अधिसूचना व सदस्यों की सूची राज्य मुख्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा की जावेगी।

संलग्न – 1. राज्य परिषद के सदस्यों की सूची।
2. नामांकन पत्र ।
3. निर्वाचन आचार संहिता (code of conduct)

(अलोक खरें)
निर्वाचन अधिकारी
एवं
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 30/8/18

पृ. क्र./2631/रा.मु./2018
प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संचालक राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट एवं गाइड नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष राज्य परिषद भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश ।
3. राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश भोपाल।
4. समस्त जिला मुख्य आयुक्त जिला मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जन जाति कार्य विभाग ।
6. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का./गा.) संभागीय कार्यालय ।
7. समस्त जिला संगठक आयुक्त (स्का./गा.) जिला संघ कार्यालय ।

निर्वाचन अधिकारी
एवं
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश